

2025	585
2025	589

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

सिद्धिपु  
25.7.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
अरविन्द बनाम चन्द्रभान आदि  
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 385 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
08.07.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 23.07.2025 को पेश हो।</p>	
10.7.2025	<p>वकील प्रतिवादी के पार्वना-पर मित्राल पेक्षा सेवा करते पर प्रभावनी को पेक्षा में लिखा गया व कुलार फर्दिजेन उपखण्ड प्रवि वकील को 1.11.25 से हजिये वकील द्वारा सुन्दर उपखण्ड आकर दफ्तराल दखल पेश किया गिने 2.11.25 फर्दल डिवा 01.11.25 प्रभावनी वाक्ते करे 2.11.25 आईन्दा तारीफ 25.7.2025 को पेश हो।</p>	<p>2-11-25 2-11-25 2-11-25</p>
25.7.2025	<p>व कुलार फर्दिजेन उपखण्ड करे जाकर बाद उभा वदर प्रवि वकील प्रभावनी का अन्वेषण किया गया प्रभावनी पर उपखण्ड प्रवि व वकील प्रवि वकील की वादमति हे आकर पर बाद वकील डिक्ती किया जा रहा है। प्रवि विवण सहित निष्पि अलग ले लिखाया जाकर 2.11.25 फर्दल डिवा जाके प्रभावनी जम्बर से कल की जाकर बाद तारीफ तत्कालीत जाकर दखिल दफ्तर हो।</p>	<p>2-11-25</p>

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

